संख्या: 1236/54—1—11/8(9)/2008

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त उप निदेशक,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

2—समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी,
भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

विषयः—समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्थापित वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं अन्य कार्मिकों के दायित्वों का निर्वहन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0— 1222/54—1—2011/8(9)/2008, दिनांक 19—12—2011 के द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) की स्थापना कर दी गयी है तथा शासनादेश सं0 1071/54—1—11/1(5)/2010, दिनांक 19—10—2011 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर (डब्ल्यूसीडीसी) का समस्त स्टाफ मय साज सज्जा सहित भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के भूमि संरक्षण अधिकारियों के कार्यालय में योजना का कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप सं0—1222/54—1—2011/8(9)/2008, दिनांक 19—12—2011 के अनुसार जनपदों में वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में निर्धारित संख्या में एक्सपर्ट एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर में विषय वस्तु विशेषज्ञों तथा कार्मिकों के दायित्वों को निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता हैः—

क— जनपद में आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पी0पी0आर0 तथा डी0पी0आर0 तैयार करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

ख— वाटरशेड कमेटी द्वारा जल संग्रहण स्तर पर किये जाने वाले कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

ग— जनपद स्तर पर आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न घटकों का समन्वय।

घ– एम0आई0एस0 को एक्टीवेट करना।
ड.– शासन स्तर पर समय–समय पर मांगी गयी सूचनाओं का प्रेषण।
च– उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/54–1–11/8(9)/2008, तददिनांक

प्रतिलिपिः–उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
2– आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, लखनऊ/कानपुर।

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।